हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन में जाते ही टीसी गुप्ता ने 4 एस्टेट अफसर समन किए

चीफ कमिश्नर बनते ही गुप्ता ने बताई आयोग की शक्तियां और अधिकार

डॉ. सुरेंद्र धीमान

चंडीगढ़, 23 जून : हरियाणा में राइट टु सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर बनते ही टीसी गुप्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद के चार एस्टेट अफसरों को समन कर लिया। पदभार संभालने के चंद दिन के भीतर गुप्ता ने जता दिया है कि आयोग की क्या शक्तियां हैं और क्या अधिकार हैं? आयोग स्वयं संज्ञान ले सकता है, दफ्तरों में छापे मार सकता है और समय पर सेवाएं न देने पर संबंधित कर्मचारी-अधिकारी के खिलाफ दंड की सिफारिश कर सकता है। गुप्ता को इन्हीं कार्यों के लिए जाना जाता है। यह जानकारी विभाग की सचिव मीनाक्षी राज ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 39 विभागों की लगभग 500 सेवाएं ऑनलाइन कर रखी हैं। मगर अधिकतर विभाग ये सेवाएं नहीं देते हैं और फाइलें धूल चाट रही होती हैं। आयोग को सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं। गुप्ता की इस तरह की कार्रवाई से दफ्तरों में लोगों को सेवाएं ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर शिकायतें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एस्टेट अफसरों, नगर निकायों के दफ्तरों और बिजली निगमों से संबंधित होती हैं। आयोग ने सबसे पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणों को पकड़ा है। वे इस प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक रह चुके हैं।

टी.सी. गुप्ता

दोनों एस्टेट अफसरों से पूछा : कितने आवेदन आए, कितने निपटाए, कितने में देरी हुई और क्यों?

प्रदेश सरकार ने 500 सेवाएं कर रखी हैं ऑनलाइन मगर अफसर नहीं देते ध्यान

स्वयं संज्ञान लिया, सेवाएं नहीं दीं तो किया समन

हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के दोनों एस्टेट अफसरों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नागरिक सेवाएं न दे पाने के कारण समन जारी किए। आयोग ने 8 और 9 जुलाई को चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता के सामने स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया है। साथ में लंबित सेवाओं से संबंधित मिसल एवं रिकॉर्ड भी तलब किया है। आयोग ने यह पूछा है कि सेवाएं लेने के एक जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक कितने आवेदन आए, कितने निपटाएं, कितने समय के बाद निपटाए? यह जानकारी आयोग में 5 जुलाई तक भेजनी है।